न्यायालीन अधिकारी – श्री रतन लाल रेगर, (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 82/2010 राजस्व वाद

उनवान

पोखर कुम्हार पुत्र श्री सवाईराम कुम्हार (प्रजापत) निवासी खेडलिया, तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

—— (वादी)

बनाम

बालु पुत्र श्री भुरा कुम्हार (प्रजापत), निवासी खेडलिया, तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
भुरा पुत्र श्री केला कुम्हार (प्रजापत) निवासी खेडलिया, तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

——(प्रतिवादी गण)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183, 188, 92(क) आर0टी0ए0
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं 151 जा.दी.

उपस्थित –
1. श्री दिनेश कुमार जोशी (अधिवक्ता वादी)
2. श्री अमित कोठारी (अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01)

दिनांक– 20-4-2017

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा विपक्षीसंख्या 01 की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर बहस दिनांक 23.03.2017 को सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी का वादपत्र प्रारंभिक आपत्तियों के आधार पर मेन्टेनेबल न होकर काबिले खारिजी के है। वादी पोखर द्वारा एक वादपत्र पूर्व में दिनांक 22.06.1970 को उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा अन्तर्गत धारा 53, 54 आरटीएक्ट के तहत प्रतिवादी भूरा व अपने अन्य को बतौर प्रतिवादीगण संयोजित करते हुए साबिक आ0 सं0 51 रकबा 15.06 बीघा वाके खेडलिया बाबत विभाजन आराजियात प्रस्तुत किया, जिसके वाद प्रकरण संख्या 94/70 दर्ज हो दिनांक 18.11.74 को वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रारंभिक डिक्री मुर्तिब हुई। विवादित आराजियात पर वादी के हक हिस्से पर वादी का कब्जा न होने से विभाजन कराया नहीं हो सका इसके पश्चात वादी द्वारा प्रारंभिक डिक्री में संशोधन किये जाने बाबत अन्तर्गत धारा152, 153 सी.पी.सी. दिनांक 09.06.88 को प्रस्तुत कर विभाजन के कब्जा दिलाये जाने की दाद भी हासिल करनी चाही, तत्पश्चात दिनांक 25.11.91 152, 153 सी.पी.सी. स्वीकार होकर संशोधित डिक्री पर्चा मुर्तिब हुआ उसी विवादित आराजियात के नवीन नम्बर कायम होकर वादी के हक हिस्से में 138, 149 रकबा 6.14 बीघा नवीन नम्बर कायम हुए । इसके पश्चात बालु व भुरा के थाना बनेडा में मुताबिक डिक्री पर्चा दिलाये जाने कब्जा दिनांक 17.09.92 को दर्ज करवाई तथा थाना बनेडा की ओर से मा0 एवं न्यायाधीश मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग पश्चिम भीलवाडा में चालान 214/92 कायम हुए तथा दिनांक 08.02.96 को प्रतिवादी बालु पिता की धारा 447 भा0द0सं0 के तहत दोषमुक्त घोषित किया जाकर प्रकरण निर्णित

इस प्रकार एक ही वाद विषय, आराजियात व उन्ही पक्षकारों के मध्य दुबारा वाद कर अनुतोष चाहना धारा 11 जा0दि0 के तहत प्रतिकूल होकर इसके अतिरिक्त स्पष्टतः मियाद होकर अन्दर अवधि नहीं होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी. स्वीकार किया जाकर वादी का वाद पत्र मेन्टेनबल नहीं होने से खारिज फरमाया जावें।

वादी अधिवक्ता द्वारा अपने प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी. में इंगित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र प्रथम खारिज किया जाकर जवाब दावा प्रस्तुती बाबत अंतिम अवसर प्रदत्त किया जावें। के दौरान वादी अधिवक्ता ने अपने तर्को से अवगत कराया कि पूर्व का वाद पत्र बाबत था ओर मोजूदा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183, 188, 92 क आरटीएक्ट के तहत किया गया है जो कि भिन्न भिन्न धाराओं में प्रस्तुत किये गये है, तथा वादग्रस्त पर वादी तन्हा खातेदार काश्तकार होकर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये अनाधिकृत पुनः वादी प्राप्त करने का अधिकारी है। लिहाजा प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नियम 11 सी.पी.सी खारिज किया जाना फरमावें।

उभयपक्षों ने बहस में अपने अपने अभिवचनों को दोहराते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब को स्वीकार करने का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम व जवाब प्रार्थना पत्र के साथ पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन व तथा वकुलाय फरिकेन द्वारा प्रस्तुत बहस पर गौर किया। अधिवक्ता प्रतिवादी बहस में समायत तर्को व साक्ष्य के तोर पर सलंग्न दस्तावेजात से यह स्पष्ट है द्वारा समान वाद विषय, आराजियात व उन्हीं पक्षकारों के मध्य दुबारा वाद प्रस्तुत दाखिल करनी चाही है जो कि न्यायिक दृष्टिकोण से धारा 11 जा0दी0 के प्रावधानों प्रतिकूल होने से वादी का वाद पत्र पोषणिय नहीं होकर खारिज योग्य है। इसके वाद पत्र अन्दर अवधि नहीं होकर गैर मियाद होने से काबिले खारिजि है। इसके उक्त तथ्यों पर वादी अधिवक्ता के द्वारा दौराने बहस प्रतिरोध में अपने तर्को से कोई के रूप में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपने जवाब प्रार्थनापत्र के समर्थन में नहीं कराया है, जिसके आधार पर यह प्रमाणित होता हो कि वास्तव में वादपत्र चलने योग्य है।

आदेश

प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मेंटेनेबल नहीं होने व बैरूम मियाद होने से खारीज के आदेश प्रसारित किये जाते है। पक्षकार खर्चा अपना अपना स्वंय वहन करें।

आज दिनांक 20/4/17 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की

(रतन लाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

की तरफ आंशिक रकबे पर प्रतिवादीगण अपनी ताकत के

2